क्रम-संख्या—264

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2451/सत्रह–वि–1—1 (क)-37-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 47–क का निकाला जाना

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 47-क निकाल दी जायगी।

धारा 48 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(क) उपधारा (2), खण्ड (ख) में, उप खण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :–

(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी है; या

(दस) नगरपालिका निधि का दुर्विनियोग या दुरूपयोग किया है ; या

(ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है ; या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है ; या

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि इस बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है ; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझ कर उल्लंघन किया है; या

(पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित्य कारण के, दुर्व्यवहार किया है; या

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है ;

(ख) उपधारा (2-क) में, परन्तुक निकाल दिया जायगा।

धारा 87-क का निकाला जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 87-क निकाल दी जायगी।

धारा 96 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 96 में, उपधारा (1) में; खण्ड (ख) में,–

(क) शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये'' रख दिये जायंगे ;

(ख) शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायंगे ;

(ग) परन्तुक में शब्द ''बीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' रख दिये जायंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 87-क के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत के अध्यक्ष को नगरपालिका के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष को केवल नगरपालिका के सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव पर हटाया जाना उचित नहीं समझा गया। अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) के खण्ड (क) व (ख) में उल्लिखित आधारों में से किसी

आधार पर राज्य सरकार के पास अध्यक्ष को हटाने की शक्ति है। अध्यक्ष को हटाने के कुछ और आधारों को जोड़े जाने तथा संविदा की स्वीकृत के सम्बन्ध में अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाया जाना आवश्यक समझा गया। अतः यह विनिश्चय किया गया कि,–

(क) उक्त अधिनियम की धारा 47-क तथा 87-क को निकाल दिया जाय ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उपखण्ड (ix) से (xvii) तक बढ़ा दिया जाय ;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2-क) के परन्तुक को हटा दिया जाय ; और

(घ) संविदा की स्वीकृत के लिये अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार को बढ़ाने हेतु धारा 96 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) को संशोधित किया जाय।

तदनसुार उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2451 (2)-XVII-V-1—1 (KA)-37-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2001

(U.P. Act No. 22 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2001.

Omission of section 47-A of U.P. Act no. 2 of 1916

2. Section 47-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, hereinafter referred to as the principal Act, shall be *omitted.*

Amendment of section 48

3. In section 48 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), in clause *(b) after* sub-clause *(viii),* the following sub-clause shall be *inserted,* namely :—

(ix) caused loss or damage to any property of the Municipality; or

(x) misappropriated or misused the Municipal fund ; or

(xi) acted against the interest of the Municipality ; or

(xii) contravened the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(xiii) created an obstacle in a meeting of the Municipality in such manner that it becomes impossible for the Municipality to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so ; or

(xiv) wilfully contravened any order or direction of the State Government given under this Act ; or

(xv) misbehaved without any lawful justification with the officers or employees of the Municipality ; or

(xvi) disposed of any property belonging to the Municipality at a price less than its market value ; or

(xvii) encroached, or assisted or instigated any other person to encroach upon the land, building or any other immovable property of the Municipality ;

(b) in sub-section (2-A) of the proviso shall be *omitted*.

Omission of section 87-A

4. Section 87-A of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 96

5. In section 96 of the principal Act, in sub-section (1), in clause *(b)*,—

(a) for the words "ten thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" shall be *substituted* ;

(b) for the words "three thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be *substituted* ;

(c) in the proviso *for* the words "twenty thousand rupees" the words "one lakh rupees" shall be *substituted*.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, the President of a Municipal Council or a Nagar Panchayat is elected on the basis of adult suffrage by the electors in the municipal area. Under section 87-A of the said Act, the President of Municipal Council or a Nagar Panchayat may be removed on a motion of no confidence passed by a majority of two-thirds of the total number of members of the municipality. It was considered improper to remove the President elected by electors in the municipal area, merely on the motion of no confidence of the members of the municipality. Under sub-section (2) of section 48 of the said Act, the State Government has power to remove the President on any of the grounds specified in clause *(a)* and clause *(b)*. It has been considered necessary to provide for certain more grounds for removal of the President and also to increase financial power of the President with regard to sanctioning of contracts. It has, therefore, been decided to,—

(a) omit sections 47-A and 87-A of the said Act ;

(b) insert sub-clause *(ix)* to *(xvii)* in clause *(b)* of sub section (2) of section 48 of the said Act ;

(c) omit the proviso to sub-section (2-A) of section 48 of the said Act; and

(d) to amend clause *(b)* of sub-section (1) of section 96 of the said Act to raise the financial power of the President for sanctioning of contracts.

The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 436 राजपत्र हिन्दी–(1163)–2001–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।